

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छयासी'

[12/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 3022]

परिशिष्ट क्रमांक - 1

विद्यालय अतार्थकित प्रश्न क्रमांक 3022 की जानकारी

(3)

प्रालय - 2								
क्र.	जिले का नाम	बैंक/विपणन संस्था का नाम	अप्रैल 2014 से 2017 के बीच विद्युत किये कर्मचारियों की जानकारी	कालान 4 में उल्लेखित कर्मचारियों में हवाये गये कर्मचारियों का आदेश/दिनांक	कालान 5 में हवाये गये कर्मचारियों से पुनः रखने का दिनांक	पुनः सेवा में उत्कृष्ट/पंजीयक शासन/पंजीयक के निर्देशों की प्रति धौम दोषी चाहिे कोई है तो उसका बास तथा की गई कार्यवाही का विवरण	प्रालय - 9	
1	विदिशा	विपणन सहकारी समिति ग्यारासपुर	1. रामबाबू, रघुवंशी, विक्रेता 2. हेमंत कुमार मैनिया, श्रृंखला	24.10.2016 24.10.2016	- -	- -	- -	-
2.	विपणन सहकारी समिति सिरोज	1. योगेश कुमार जैन, विक्रेता	1. योगेश कुमार जैन, विक्रेता	09.12.2016	-	-	-	-
3.	विपणन सहकारी समिति विदिशा	1. किशन रघुवंशी, कम्प्यूटर आपरेटर 2. भीकरन सिंह रघुवंशी, कम्प्यूटर आपरेटर	दि. 15.02.2015 को स्वेच्छा से छोड़कर छोड़ गए।	21.03.2017	आयुक्त एवं पंजीयक के पत्र क्रं./विप./वि.स. स./98/2017/1670, दिनांक 31.05.2017 में संस्था में 03 कर्मचारियों को 24.03.2017 को 15.06.2017 तक रखे जाने की अनुमति परिषेक्ष्य में रखा गया। उक्त कर्मचारी को संस्था के संचालक मंडल के	संलग्न	-	

(८)

			छहराव क्र.01 दि.08. रखा गया है।	06.2017 से निरंतर	
3. शिवशंकर रघुवंशी, डैनिक अस्थायी कर्मचारी	दिनांक 21.03. 2017	आयुत्त एवं पंजीयक के पत्र क्र.वि.प.वि.स. स./१८/२०१७/१६७०, दिनांक ३१.०५.२०१७ में संस्था में ०३ कर्मचारियों को २४.०३. २०१७ तक रखे जाने की अनुमति के परिणेष्य में रखा गया। उक्त कर्मचारी को संस्था के संचालक मंडल के छहराव क्र.01 दि.08. ०६.२०१७ से निरंतर रखा गया है।	रखी उपार्जन एवं संस्था के खरीदी के सम्बन्ध में	संलग्न	

*मुझे 22/2/18
उप आयुक्त
सहकारिता जिला विदेश*

*मुझे 22/2/18
उप आयुक्त
सहकारिता जिला विदेश*

परिकल्पना ५५८-२

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म०प्र०
क्रमांक/समव्यय/2016/ 751 भोपाल, दिनांक 22-7-16

प्रति,

✓उपायुक्त,
सहकारिता,
जिला विधिशा

विषय:-विधिशा जिले में नियम विरुद्ध रखे गये कर्मचारियों को पद से
पृथक करने बाबत ।

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 3369 दिनांक 22.07.2016 द्वारा श्री शैलेन्द्र पटेल, माननीय विधायक के संदर्भ में प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि विधिशा जिले में संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार कर्मचारी नियुक्त करने की पात्रता का परीक्षण नहीं किया गया और उक्तानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है ।

अतएव तदनुसार लेख है कि विधिशा जिले में दिनांक 01.04.2014 से अभी तक नियम विरुद्ध रखे गये कर्मचारियों को पद से पृथक करने की कार्यवाही करें । इसके साथ ही उनके नियोक्ताओं के विरुद्ध भी विधि अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

मृग
विधिशा
11.8.16
2648
म० प्र० शासन,
संयुक्त अम्युक्त
सहकारिता, म.प्र.



C-M- LDB